राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

चिरंजीलाल बनाम मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/02/2026	759/2024 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो।	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1071/1.41 हैक्टेयर बन्दोबस्त हाल वाकै ग्रान कुजोता, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज० के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी हिस्सा 7/12 के तनहा तौर पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा कान करते चले आ रहे है। बादी एवं तरतीबी प्रतिवादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर उक्त भूमि का बटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बंटवारा पक्षकारा अपने-अपने हिस्से में आई भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है जिसे वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। जिस पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी तनहा तौर पर काबिज है व काश्त करते चले आ रहे है। तरतीबी प्रतिवादी वृद्ध महिला है तथा रिष्ठ नागरिक है तथा वादी एव तरतीबी प्रतिवादी बंटवारे के अनुसार अपने हिस्स पर तनहा तौर पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु अब प्रतिवादी के मन में बेईमानी आ गई तथा आये दिन बोलचाल होने लगी है तथा प्रतिवादी वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के कब्जे एवं काश्त में मजाहमत करने की धमकी दे रहा तथा बिना राजस्व रिकार्ड में उक्त बंटवारे का अमल कराये दिगर लोगो को उक्त भूमि को बैचान करने का कोई अधिकार नहीं हैं किन्तु प्रतिवादी समझाने से नहीं मान रहा तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के कब्जे कारत में मजाहमत करने व दिगर लोगों को उक्त भूति को बेचान करने पर आमादा हैं इस कारण दावा बाबी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र के अन्त ईस्तदुआ चाही गयी कि आराजी खसरा नम्बर 1071/1.41 हैक्टेयर बन्दोबस्त हाल वाकै ग्राम कुजोता तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राज. का हिस्सा 7/12 जिस पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी मुताबिक बंटवारा काबिज है, जिसे वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा कर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को तनहा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी कदर राजस्व नक्शा में बटा नम्बर डालकर तरमीम किया जाकर राज लगान अलग से निर्धारित किया जावे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1071/1.41 है.	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	चिरंजीलाल बनाम मोहनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
759/2024		

बन्दोबस्त हाल वाकै ग्राम कुजोता, तहसील कोटपूतली. जिला जयपुर राज. का हिस्सा 7/12 जिस पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी मुताबिक बंटवारा काबिज है में प्रतिवादी वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या संख्या 1,2,3,4 बावजूद सूचना उपस्थित नही आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 की और से अधिवक्ता श्री प्रमोद चोहान ने वकालतनामा पेश करते हुये प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने पर अपनी सहमति जाहिर की | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18/12/2023 पारित करते हुये तहसीलदार कोटपुतली को मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में मौका एवं रिकार्ड के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री 15/07/2025 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है | विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15/07/2025 यथावत रखा जाकर अपील संख्या 759/2024 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर